(5)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 पिटिशन वाद सं0 03/2009–10

श्रीमती कृष्णा देवी उर्फ ठाकुर ..... आवेदक

बनाम

झारखंड सरकार ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

27/05/2016 यह रे0मि0 पिटिशन वाद सं0 03/2009–10 श्रीमती कृष्णा देवी उर्फ कृष्णा ठाकुर, सा0 धोबा, अंचल रामगढ़ बनाम् झारखंड सरकार के बीच माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड रांची के डब्लू.पी. (सी.) नं0 6003/2002 आदेश दिनांक 11.09.2007 के आलोक में अंचल अधिकारी, रामगढ़ के पी.पी. वाद सं0 32/1985–86 में पारित आदेश दिनांक 05.01.2002 के विरूद्ध में दायर किया गया है।

मैंने विपक्षी झारखंड सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता को सुना। आवेदक की उपस्थिति नहीं रहने के कारण उनके ओर से पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजात एवं आवेदक के आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है आवेदक को अंचल अधिकारी, रामगढ़ के पी.पी. वाद सं0 32/1985–86 में आदेश दिनांक 15.03.1986 द्वारा मौजा धोबा के दाग सं0 612 रकवा 0.4 डीसमल जमींन की पी.पी. पट्टा मिला था जिसे माननीय उच्च न्यायालय के सी.डब्लू.जे.सी. 2837/1989 में पारित आदेश दिनांक 17.01.1990 द्वारा रद्द कर दिया गया एवं अंचल अधिकारी, रामगढ़ को नये सिरे से विचार हेतु निदेश दिया गया किन्तु अंचल अधिकारी द्वारा पुनर्विचार आदेश पारित करने में विलम्ब होने के कारण आवेदक द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड रांची में डब्लू.पी.(सी.) 6003/2002 दायर किया गया। इस बीच अंचल अधिकारी द्वारा दिनांक 05.01.2002 को आदेश पारित करते हुए आवेदक के दावों को अस्वीकृत किया गया। तत्पश्चात आवेदक द्वारा डब्लू.पी.(सी.) 6003/2002 को वापस लिया गया एवं आवेदन में अनुरोध किया गया कि वह पी.पी.एच.टी. एक्ट 1947 के धारा 21 के अन्तर्गत इस न्यायालय (उपायुक्त के न्यायालय) में अपील दायर करने हेतु स्वतंन्त्र है। इसी आदेश के आलोक में यह आवेदन दाखिल किया गया है।

निम्न न्यायालय (अंचल अधिकारी, रामगढ़ का न्यायालय) द्वारा पारित आदेश में उल्लेख है कि आवेदिका के पति सुबोध ठाकुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़ में लिपिक के पद से सेवा निवृत्त हुए है। वे भूमिहीन नहीं है। इसी आधार पर उनका आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।

(6)

सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि संथाल परगना प्रमंडल में Privilege Persons Homestead Act लागू नही है। इसपर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। अतः अंचल अधिकारी द्वारा आवेदिका को पी.पी. एक्ट में पट्टा नहीं दिया गया है, जो सही है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है। अतः आवेदिका के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।